<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।</u>

<u>वारण्ट दाण्डिक वाद संख्या- 299 / 2017</u>

सरकार बनाम रामबहोरी

मु.अ.सं.-173/2017
धारा-504,506 भा.द.सं. व 3/25 आयुध अधि.
थाना-मऊ।
जिला-चित्रकूट।

<u>आरोप</u>

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्त रामबहोरी को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-21.03.2017 को समय दोपहर लगभग 01:30 बजे व स्थान ग्राम-मवई कला, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में आपने वादी मुकदमा को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देकर शासय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है जो इस इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आपके कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा नाजायज 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-17.01.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-17.01.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।